

SC/ST छात्रों के फीस वापसी हेतु दिशा निर्देश

इग्नू मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाई 2018 सत्र में नये नामांकन एवं रि-रजिस्ट्रेशन लिए हुए एससी/एसटी छात्रों को कुछेक प्रोग्राम के लिए उनकी फीस को वापस किया जाना है। छात्रों द्वारा ऑनलाइन नामांकन एवं रि-रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए जानकारी के अनुसार सूची में दर्शाये गए छात्र फीस वापसी के लिए पात्र हैं लेकिन इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय आपके द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज के आधार पर ही किया जायेगा। वेबसाइट पर अपलोड किये गए फाइल में अगर किसी छात्र का नाम नहीं है और वह SC/ST समुदाय का है, एवं इग्नू मुख्यालय के पत्र संख्या 298 दिनांक 16 मई 2018 के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों को पूर्ण करता हो तो वह भी नीचे बताये प्रोफोर्मा को डाउनलोड कर फीस वापसी के लिये आवेदन कर सकता है।

वेबसाइट पर फीस भुगतान हेतु एक प्रोफोर्मा संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है की प्रोफोर्मा को भरकर नीचे बताये गए दस्तावेजों के साथ दिनांक 30.11.2018 तक इस कार्यालय को वापस करें।

१) स्व-अभिप्रमाणित जाति-प्रमाण पत्र। जाति-प्रमाण पत्र पर अंकित नाम आपके द्वारा नामांकन लिए गए नाम से मिलना चाहिए अन्यथा आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

२) स्व-अभिप्रमाणित इग्नू पहचान-पत्र की छाया-प्रति।

३) कैंसिल चेक की एक मूल प्रति। अगर चेक नहीं हो तो बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति। बैंक अकाउंट की छायाप्रति में खाताधारक का नाम, आई.एफ.एस.सी कोड और अकाउंट नंबर अवश्य होना चाहिए। बैंक अकाउंट छात्र के नाम पर ही होना चाहिए। अगर किसी अन्य के नाम पर अकाउंट होगा तो किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा और इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

४) छात्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित होनी चाहिए। नामांकन के समय छात्र द्वारा जिस तरह से हस्ताक्षर किया गया है वैसा ही हस्ताक्षर सभी जगह होना चाहिए अन्यथा आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में बाद में कोई पत्राचार स्वीकृत किया जायेगा।

५) इस पत्र के साथ संलग्न किये गए प्रोफोर्मा के सभी कॉलम भरे होने चाहिए। कोई भी कॉलम अपूर्ण रहने पर फॉर्म निरस्त कर दिया जायेगा। प्रोफोर्मा पर छात्र का हस्ताक्षर होना भी जरूरी है।

क्षेत्रीय निदेशक